न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 47 / 2021

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना।

—: प्रार्थी

बनाम

कमल किशोर दित्तक पुत्र मानजी भील निवासी टामटिया पाल, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86

निर्णय

दिनांक: 04.02.2021

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का टामटिया राठोड़ के मौजा टामटिया पाल की खाता संख्या 251 (नई) 236 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 5004 / 2363 रकबा 0.28 हे0 किस्म— बरड़ी भूमि श्री वालजी पिता मकना भील की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में स्थित आम के पेड़ नंग एक को अप्रार्थी श्री कमल किशोर दित्तक पुत्र मानजी भील निवासी टामटिया पाल द्वारा बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति के आम का पेड़ कांटे जाने के कम में पटवारी हल्का टामटिया राठोड़ द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा / राजस्व अभिलेख / लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कमल किशोर दित्तक पुत्र मानजी भील निवासी टामटिया पाल के नाम सम्मन जारी किये जाने तथा सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी के उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का टामटिया राठोड़ द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा / राजस्व अभिलेख की नकल / लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री कमल किशोर दित्तक पुत्र मानजी भील निवासी टामटिया पाल द्वारा पटवार हल्का टामटिया राठोड़ के मौजा टामटिया पाल की खाता संख्या 251 (नई) 236 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 5004 / 2363 रकबा 0.28 हे0 किस्म— बरड़ी भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को खातेदारी भूमि में स्थित एक आम का पेड़ बिना अनुमति के कांटने के फलस्वरूप 100 / — रू0 के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 5,000 / — (अक्षरे रूपये पॉच हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से लकड़ी की निलामी कराई जाकर अन्तिम [illegible] को लकड़ी सुपुर्द कराई जाकर (यदि लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित बोलीदाता को वन विभाग से नियमानुसार परिवहन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त करने [illegible] किया जाकर) जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा [illegible] पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS

उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:26 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner